**संख्या- 324 /2024/2542 /चार-2024-1692416**

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 11 सितम्बर, 2024

विषय-जनपद आजमगढ़ में ग्राम हरिहरपुर में निर्माणाधीन संगीत महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1425/सं0नि0-6(162)/2022-23, दिनांक 02 सितम्बर, 2024 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 124/2023/345/चार-2023 दिनांक 20 मार्च, 2023 द्वारा जनपद आजमगढ़ में ग्राम हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु रू0 2178.94 लाख की प्रशासकीय व रू0 500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या- 391/2023/7664 /चार-2023 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 द्वारा रू0 550.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद आजमगढ़ में ग्राम हरिहरपुर में निर्माणाधीन संगीत महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु टेण्डर कास्ट रू0 2172.87 लाख की 05 प्रतिशत धनराशि रू0 108.64 लाख रोकते हुए अवशेष धनराशि रू0 1014.23 लाख (रूपये दस करोड़ चौदह लाख तेईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या- 124/2023 / 345 /चार-2023 दिनांक 20 मार्च, 2023 तथा शासनादेश संख्या-391 /2023 / 7664 (1) /चार-2023 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियां सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) परियोजना हेतु अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र शासन तथा संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 324 /2024 / 2452 (1) /चार-2024-1692416 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा व हकदारी) प्रथम, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, इकाई-19, आजमगढ़।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।